

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनांक: 07-09-2026

विषय सूची

परियोजनाओं के लिए ग्राम सभा की सहमति प्राप्त करने का वन अधिकार अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं: मंत्रालय

भारत के मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढाँचे के 10 वर्ष

NBA ने ₹200 करोड़ से अधिक के ABS वितरण के साथ महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की
राजघाट उत्खनन

संक्षिप्त समाचार

संयुक्त राष्ट्र ने नए विश्व मानचित्र को अपनाने के लिए मतदान किया

वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग

आपातकालीन ऋण लाइन गारंटी योजना (ECLGS) 5.0

वर्ष 2029 तक भारत को नशा-मुक्त बनाने का रोडमैप

वन अधिकार अधिनियम में परियोजनाओं के लिए ग्राम सभा की सहमति प्राप्त करने का कोई प्रावधान नहीं: मंत्रालय

सन्दर्भ

- जनजातीय कार्य मंत्रालय (MOTA) के अनुसार, वन अधिकार अधिनियम, 2006 में चरण-II वन स्वीकृति के लिए ग्राम सभा की सहमति प्राप्त करने का कोई प्रावधान नहीं है।

परिचय

- MOTA की प्रतिक्रिया केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श के बीच आई है, जिसमें अधिनियम के तहत 100% ग्राम सभा की सहमति की बाधा के कारण विलंबित सरकारी परियोजनाओं पर चर्चा हुई।
- वन स्वीकृति के लिए कानून:** FRA में गैर-वानिकी उद्देश्यों के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन के संबंध में ग्राम सभा की सहमति की भाषा विशेष रूप से नहीं है।
- 1980 के वन संरक्षण अधिनियम में संभावित FRA दावेदारों की पहचान, जहाँ लागू हो वहाँ उनके अधिकारों की मान्यता, इन अधिकारों का निहित किया जाना और उसके बाद संबंधित ग्राम सभाओं से अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) प्राप्त करना आवश्यक था।
- ग्राम सभाओं से NOC प्राप्त करने की यह प्रक्रिया ही सामान्यतः वन स्वीकृति के लिए ग्राम सभा की सहमति की प्रक्रिया के रूप में जानी जाती है।
- FRA में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय इस कानून के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय है।

वन अधिकार अधिनियम

- अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (वन अधिकार अधिनियम या FRA) को वन-निवासी समुदायों, जिसमें अनुसूचित जनजातियाँ भी शामिल हैं, के उन वन संसाधनों पर अधिकारों को मान्यता देने के लिए लागू किया गया था, जिनका वे परंपरागत रूप से उपयोग करते रहे हैं।

प्रमुख विशेषताएँ:

- अधिकारों की मान्यता:** इसमें व्यक्तिगत और सामुदायिक अधिकार शामिल हैं, जैसे स्व-कृषि, निवास, चराई, मछली पकड़ना और वनों में जल निकायों तक पहुँच।
- इसमें विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) के लिए आवास अधिकार, खानाबदोश और पशुपालक समुदायों के पारंपरिक मौसमी संसाधनों तक पहुँच, जैव विविधता तक

पहुँच, सामुदायिक बौद्धिक संपदा और पारंपरिक ज्ञान का अधिकार भी शामिल है।

- वन भूमि का आवंटन:** यह समुदाय की बुनियादी अवसंरचनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विकासात्मक उद्देश्यों हेतु वन भूमि के आवंटन का अधिकार भी प्रदान करता है।
- उचित मुआवजे और भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के साथ मिलकर FRA जनजातीय आबादी को पुनर्वास और पुनर्स्थापन के बिना बेदखली से सुरक्षा प्रदान करता है।
- ग्राम सभा की भूमिका:** अधिनियम ग्राम सभा और अधिकार धारकों को वनों के संरक्षण और सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सौंपता है।
- अधिनियम के तहत ग्राम सभा एक अत्यधिक सशक्त निकाय भी है, जो जनजातीय आबादी को उन्हें प्रभावित करने वाली स्थानीय नीतियों और योजनाओं के निर्धारण में निर्णायक भूमिका निभाने में सक्षम बनाती है।

पेसा (PESA) अधिनियम, 1996 क्या है?

- पेसा अधिनियम, 1996 का पूरा नाम पंचायतों के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 है।
- यह संसद द्वारा बनाया गया एक कानून है, जो संविधान के भाग IX से संबंधित पंचायतों के प्रावधानों को कुछ संशोधनों के साथ 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों तक विस्तारित करता है।
- संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत, मुख्य रूप से जनजातीय आबादी वाले क्षेत्रों को 'अनुसूचित क्षेत्र' (Scheduled Areas) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह एक क्षेत्रीय प्रावधान है, जो अनुसूचित जनजातियों (ST) के प्रथागत अधिकारों को मान्यता देता है।

PESA अधिनियम ने वन संरक्षण को कैसे बढ़ावा दिया?

- प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण:** अधिनियम जनजातीय समुदायों को भूमि, जल और वनों जैसे प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन और उपयोग पर नियंत्रण प्रदान करता है।
- विकेंद्रीकृत निर्णय-निर्माण:** अधिनियम निर्णय लेने की प्रक्रिया को ग्राम सभा और पंचायतों तक विकेंद्रीकृत करता है, जिससे अधिक स्थानीय और परिस्थितियों के अनुरूप शासन संभव होता है।
- भूमि अधिकार और अलगाव की रोकथाम:** अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के किसी भी हस्तांतरण को ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक करके, पेसा अधिनियम जनजातीय भूमि के अलगाव के विरुद्ध कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है।

आगे की राह

- **ग्राम सभा-केंद्रित शासन को मजबूत करना:** यह सुनिश्चित किया जाए कि FRA, 2006 और PESA, 1996 का कार्यान्वयन ग्राम सभाओं के अधिकार पर आधारित रहे, जैसा कि कानूनों में परिकल्पित किया गया है।
- **सहभागितापूर्ण निर्णय-निर्माण को संस्थागत रूप देना:** सलाहकार और निगरानी तंत्र में जनजातीय समुदायों, पारंपरिक वन निवासियों, महिला समूहों और नागरिक समाज संगठनों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए।
- **पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना:** संसाधित दावों, मान्यता प्राप्त अधिकारों और कार्यान्वयन की स्थिति पर नियमित रिपोर्ट प्रकाशित की जाए।
- **जनजातीय समुदायों के लिए सुलभ स्वतंत्र शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किए जाएँ।**
- **सहकारी संघीय और संवैधानिक दृष्टिकोण अपनाना:** राज्यों को 5वीं अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा और जनजातीय स्वशासन की भावना के अनुरूप नियम और कार्यान्वयन रणनीतियाँ तैयार करनी चाहिए।

निष्कर्ष

- FRA और PESA के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक दक्षता और जनजातीय स्वशासन के संवैधानिक सिद्धांतों के बीच संतुलन स्थापित करना आवश्यक है।
- ग्राम सभाओं को मजबूत करना, सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करना और कार्यबलों को स्थानीय संस्थाओं के प्रति जवाबदेह बनाना अनुसूचित क्षेत्रों में विकास और लोकतांत्रिक सशक्तीकरण दोनों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है।

स्रोत: TH

भारत के मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढाँचे के 10 वर्ष

सन्दर्भ

- भारत ने भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के औपचारिक नीति ढाँचे के रूप में मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (IT) के एक दशक को पूरा कर लिया है।

भारत का मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढाँचा

- भारत ने डॉ. उर्जित पटेल की अध्यक्षता वाली एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर 2016 में लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढाँचा (FITF) अपनाया।

- आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45ZA के अनुसार, केंद्र सरकार RBI के परामर्श से हर पाँच वर्ष में मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारित करती है।
- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) — जो खुदरा मुद्रास्फीति को मापता है — को चुना गया बेंचमार्क है।
- मौद्रिक नीति समिति (MPC) को सरकार द्वारा निर्धारित मुद्रास्फीति लक्ष्य को बनाए रखने का दायित्व सौंपा गया है।

मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण की कार्यप्रणाली

- **मांग चैनल (Demand channel):** उपभोग और निवेश की मांग को कम करने तथा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए RBI रेपो दर बढ़ाता है, जिससे उधार लेने की लागत बढ़ जाती है।
- **अपेक्षा चैनल (Expectations channel):** RBI परिवारों और फर्मों की मुद्रास्फीति संबंधी अपेक्षाओं को अपने मुद्रास्फीति लक्ष्य के अनुरूप बनाए रखने का प्रयास करता है, ताकि अपेक्षित मुद्रास्फीति बढ़े हुए वेतन और कीमतों में परिवर्तित न हो।
- दोनों तकनीकें काफी हद तक न्यू कीन्सियन फिलिप्स वक्र (NKPC) पर निर्भर करती हैं, जो उत्पादन और मुद्रास्फीति के बीच एक सकारात्मक संबंध स्थापित करता है।

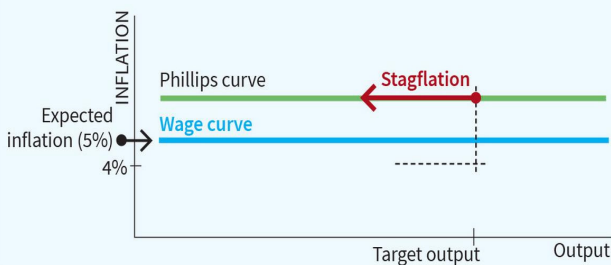
मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण की प्रभावशीलता से संबंधित चिंताएँ

- **फ्लैट फिलिप्स वक्र:** अप्रैल 2012-मार्च 2026 के लिए औद्योगिक उत्पादन और CPI मुद्रास्फीति के विश्लेषण से संकेत मिलता है कि भारत का फिलिप्स वक्र काफी हद तक सपाट है।
- इससे संकेत मिलता है कि उत्पादन और रोजगार में बदलाव का मुद्रास्फीति पर सीमित प्रभाव हो सकता है।
- **सीमित वेतन सौदेबाजी शक्ति:** भारत के कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत है और उसकी सौदेबाजी की शक्ति सीमित है।
- इसलिए अधिक उत्पादन और रोजगार से आवश्यक रूप से वेतन में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हो सकती है।
- अतः फिलिप्स वक्र में निहित वेतन-उत्पादन-मुद्रास्फीति तंत्र (wage-output-inflation mechanism) भारत में कमजोर हो सकता है।
- **अस्थिर मुद्रास्फीति अपेक्षाएँ:** परिवारों की मुद्रास्फीति संबंधी अपेक्षाएँ नियमित रूप से RBI के मुद्रास्फीति अनुमानों से अधिक रही हैं। औसतन, यह अंतर लगभग चार प्रतिशत अंक रहा है।
- **भारतीय मुद्रास्फीति की आपूर्ति-पक्षीय प्रकृति:** भारत में मुद्रास्फीति अक्सर खाद्य कीमतों में झटकों, मौसम और जलवायु

संबंधी आपदाओं, आपूर्ति-शृंखला में व्यवधान तथा वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों के कारण आपूर्ति-पक्ष से प्रेरित होती है।

- ब्याज दरों में वृद्धि का ऐसी आपूर्ति-पक्षीय सीमाओं से निपटने में बहुत कम प्रत्यक्ष प्रभाव होता है।
- **विकास के लिए जोखिम:** उच्च ब्याज दरें निजी निवेश और घरेलू उधारी को कम कर सकती हैं, जिससे विकास के लिए जोखिम उत्पन्न हो सकता है।
- यदि फ्लैट फिलिप्स वक्र या आपूर्ति-पक्षीय झटकों के कारण मुद्रास्फीति प्रतिक्रिया नहीं देती है, तो मौद्रिक सख्ती कम उत्पादन और रोजगार के रूप में महंगी साबित हो सकती है।

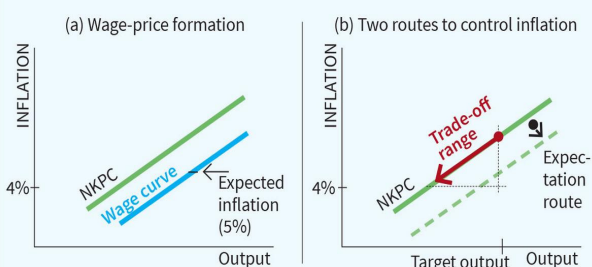
Graph 2: A flat curve means lower output without lower inflation



न्यू कीन्सियन फिलिप्स वक्र (NKPC)

- न्यू कीन्सियन फिलिप्स वक्र (NKPC) मुद्रास्फीति, आर्थिक गतिविधि और मुद्रास्फीति की अपेक्षाओं के बीच संबंध को स्पष्ट करता है।
- इसके अनुसार, वर्तमान मुद्रास्फीति अपेक्षित भविष्य की मुद्रास्फीति तथा उत्पादन या आर्थिक गतिविधि के स्तर से प्रभावित होती है।
- जब समग्र मांग और उत्पादन में वृद्धि होती है, तो रोजगार और उत्पादन लागत बढ़ सकती है।
- उच्च लागत, विशेष रूप से मजदूरी, उच्च कीमतों के माध्यम से उपभोक्ताओं पर डाली जाती है।
- इसलिए, उच्च आर्थिक गतिविधि से उच्च मुद्रास्फीति हो सकती है।

Graph 1: The New Keynesian Phillips Curve (NKPC)



स्रोत: TH

ABS वितरण में ₹200 करोड़ से अधिक के साथ NBA ने उपलब्धि हासिल की

सन्दर्भ

- राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) ने भारत के लाभ-साझाकरण (ABS) ढाँचे के तहत संचयी वितरण में ₹200 करोड़ का आँकड़ा पार कर लिया है।

परिचय

- मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ABS से प्राप्त राशि के संचयी प्राप्तकर्ताओं में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सबसे बड़े प्राप्तकर्ता के रूप में उभरे हैं।
- यह पहल जैव विविधता पर अभिसमय, लाभ-साझाकरण पर नागोया प्रोटोकॉल और कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढाँचे के तहत भारत की प्रतिबद्धताओं का भी समर्थन करती है, विशेष रूप से आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों के समान वितरण से संबंधित लक्ष्य 13 का।

लाभ-साझाकरण (ABS) क्या है?

- ABS एक ऐसी व्यवस्था है, जो जैविक और आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों के उचित और समान वितरण को सुनिश्चित करती है।

इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जैविक संसाधनों के वाणिज्यिक उपयोगकर्ता निम्नलिखित में योगदान दें:

- जैव विविधता का संरक्षण;
- जैविक संसाधनों का सतत उपयोग; और
- ऐसे संसाधनों से जुड़े स्थानीय समुदायों का कल्याण।

ABS निधियों का उपयोग

जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 32(2) के तहत, इन निधियों का उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जा सकता है:

- पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर (PBRs) की तैयारी और अद्यतन;
- जैव विविधता का यथास्थाने (In-situ) और पर-स्थाने (Ex-situ) संरक्षण;
- क्षरित पारिस्थितिकी तंत्रों का पुनर्स्थापन;
- जैव विविधता विरासत स्थलों को मजबूत करना;
- जैव विविधता प्रबंधन समितियों (BMCs) का क्षमता निर्माण; और
- स्थानीय समुदायों की आजीविका में सुधार।

जैव विविधता अधिनियम, 2002

- यह अधिनियम जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (CBD), 1992 के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए लागू किया गया था।
- यह जैविक संसाधनों तक पहुँच और ऐसी पहुँच तथा उनके उपयोग से होने वाले लाभों के साझाकरण के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। यह लाभ-साझाकरण पर नागोया प्रोटोकॉल के अनुरूप है।
- अधिनियम ने जैविक संसाधनों तक पहुँच को विनियमित करने के लिए तीन-स्तरीय संरचना की परिकल्पना की: राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA), राज्य जैव विविधता बोर्ड (SBBs) और जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ (BMCs)।

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA)

- यह भारत के जैव विविधता अधिनियम, 2002 को लागू करने के लिए 2003 में स्थापित एक वैधानिक निकाय है।
- यह जैव विविधता के संरक्षण, इसके घटकों के सतत उपयोग और जैविक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों के समान वितरण से संबंधित मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देता है।

राज्य जैव विविधता बोर्ड (SBBs)

- इनकी स्थापना अधिनियम की धारा 22 के तहत की जाती है और ये केंद्र सरकार द्वारा जारी किसी भी दिशा-निर्देश के अधीन, जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित मामलों पर राज्य सरकारों को सलाह देने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ (BMCs)

- अधिनियम के अनुसार, स्थानीय निकाय जैव विविधता के संरक्षण, सतत उपयोग और दस्तावेजीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर BMC का गठन करते हैं।

जैव विविधता पर अभिसमय

- **उद्भव:** इस अभिसमय को 1992 में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन) में हस्ताक्षर के लिए खोला गया था।
- जैव विविधता पर अभिसमय (CBD) 29 दिसंबर 1993 को लागू हुआ।
- कॉप का पहला सत्र 1994 में बहामास में आयोजित किया गया था।
- **सचिवालय:** मॉन्ट्रियल, कनाडा।

कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढाँचा

- कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढाँचा 2022 में कनाडा के मॉन्ट्रियल में आयोजित जैव विविधता पर अभिसमय (CBD) के COP15 में अंतिम रूप दिया गया था।
- यह ढाँचा वैश्विक जैव विविधता संकट से निपटने के उद्देश्य से किया गया एक महत्वपूर्ण समझौता है।
- इसमें वर्ष 2030 तक हासिल किए जाने वाले 23 लक्ष्य और 2050 के लिए चार वैश्विक लक्ष्य शामिल हैं, जिनका उद्देश्य वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए जैव विविधता का संरक्षण करना है।
- यह समझौता सदस्यों के लिए बाध्यकारी नहीं है।

नागोया प्रोटोकॉल

- आनुवंशिक संसाधनों तक पहुँच और उनके उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के उचित एवं समान साझाकरण पर नागोया प्रोटोकॉल (ABS) जैव विविधता पर अभिसमय (CBD) का एक पूरक समझौता है।
- यह CBD के तीन उद्देश्यों में से एक — आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों का उचित और समान साझाकरण — के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक पारदर्शी कानूनी ढाँचा प्रदान करता है।
- इसे 2010 में नागोया, जापान में अपनाया गया और 2014 में लागू हुआ।

स्रोत: AIR

राजघाट उत्खनन

सन्दर्भ

- राजघाट उत्खनन **वाराणसी** में पुरातात्विक उत्खननों के इतिहास को समझने के लिए महत्वपूर्ण है।

राजघाट का परिचय

- आज राजघाट पूर्वी वाराणसी में स्थित एक पड़ोस को संदर्भित करता है।
- लेकिन राजघाट पुरातात्विक स्थल विशेष रूप से शहर के उत्तर-पूर्वी बाहरी क्षेत्र में, गंगा और वरुणा नदियों के संगम के पास स्थित प्राचीन बस्ती को संदर्भित करता है।
- राजघाट को काशी जनपद की राजधानी के रूप में पहचाना जाता है।
- जनपद प्राचीन भारत में उभरे क्षेत्रीय राज्य या राजनीतिक इकाइयाँ थीं, विशेष रूप से उत्तर वैदिक काल के दौरान।

- इनमें से कुछ जनपद बड़े और अधिक शक्तिशाली राज्यों के रूप में विकसित हुए, जिन्हें 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक महाजनपद के रूप में जाना जाने लगा।
- प्रारंभिक बौद्ध और जैन ग्रंथों में काशी का उल्लेख इंडो-गंगेटिक मैदान के 16 महाजनपदों में से एक के रूप में मिलता है।
- सारनाथ एक तीर्थस्थल के रूप में विकसित हुआ, जबकि राजघाट मुख्य शहरी केंद्र के रूप में विकसित हुआ।
- शेष बस्तियाँ, जो कई शताब्दियों पुरानी मानी जाती हैं, काशी के परिधीय, ग्रामीण क्षेत्र थे।

राजघाट उत्खनन से प्राप्त निष्कर्ष

- राजघाट की खोज का श्रेय कृष्ण देव को दिया जाता है, जिन्होंने वर्ष 1940 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की ओर से इस स्थल का परीक्षणात्मक उत्खनन किया था।
- बस्ती की सबसे निचली और इसलिए सबसे पुरानी परत से नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर (NBPW) से पूर्व की मृद्भांड सामग्री (Pre-NBPW) प्राप्त हुई, जो लौह युग के एक प्रारंभिक चरण से संबंधित एक प्रकार की मृद्भांड है।
- इस साक्ष्य के आधार पर, राजघाट में बस्ती की उत्पत्ति लगभग 800 ईसा पूर्व मानी गई।
- इस स्थल से प्राप्त कलाकृतियों में सैकड़ों मुहरों और मुहरों की छाप शामिल हैं।
- इनमें से कई पर यूनानी अभिलेख, प्रशासनिक इकाइयों और उनके अधिकारियों के नाम अंकित हैं।
- हाथीदाँत और लौह वस्तुएँ, आहत सिक्के तथा टेराकोटा की मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई हैं।

स्रोत: IE

यह अफ्रीका को ग्रीनलैंड के लगभग समान आकार का दिखाता है, जबकि वास्तव में अफ्रीका का भू-भाग ग्रीनलैंड से 14 गुना बड़ा है।

- पहली बार वर्ष **1569 में तैयार** किया गया यह मानचित्र यूरोपीय खोजकर्ताओं को विश्व भर में नौवहन में सहायता करने के लिए बनाया गया था। मानचित्र का विकृतिकरण इस तथ्य पर आधारित है कि ग्लोब की सतह को द्वि-आयामी मानचित्र पर प्रदर्शित नहीं किया जा सकता।
- **मर्केटर मानचित्र** में पृथ्वी की वक्रता को समायोजित करने के लिए भूमध्य रेखा के पास के देशों को उनके वास्तविक आकार से छोटा और ध्रुवों के पास के देशों को उनके वास्तविक आकार से बड़ा दिखाया जाता है।
- इस विकृति को दूर करने के लिए वर्ष **2018 में इक्वल अर्थ प्रोजेक्शन (Equal Earth Projection)** विकसित किया गया था। हाल ही में टोगो द्वारा अफ्रीकी देशों के समर्थन से इस मानचित्र को संयुक्त राष्ट्र के समक्ष रखा गया। इसके पक्ष में 164 वोट मिले, जिसमें भारत भी शामिल था, जबकि अमेरिका ने इसके विरुद्ध मतदान किया और छह देशों ने मतदान में भाग नहीं लिया।

स्रोत: HT

वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम

चर्चा में क्यों?

- वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम (VVP) बुनियादी ढाँचे के विकास, आजीविका में सुधार और सरकारी योजनाओं तक पहुँच प्रदान करके सीमावर्ती समुदायों को भारत के विकास में सक्रिय भागीदार बना रहा है।

वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम (VVP)

- इसे वर्ष 2023 में शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य भारत की सीमा पर स्थित लक्षित गाँवों के एकीकृत विकास में तेजी लाना है।
- इसका उद्देश्य सक्रिय, सुरक्षित और समृद्ध सीमावर्ती कस्बों की स्थापना करना है तथा सीमावर्ती लोगों को सीमा की सुरक्षा करने वाली सेनाओं की आँख और कान के रूप में देखता है।
- इसे ग्राम कार्य योजनाओं (Village Action Plans) के माध्यम से लागू किया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक सीमा, राज्य और गाँव की आवश्यकताओं के अनुरूप हस्तक्षेप किए जाते हैं।
- यह वर्तमान सरकारी परियोजनाओं का अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करने के लिए अभिसरण दृष्टिकोण (Convergence)

संक्षिप्त समाचार

संयुक्त राष्ट्र ने नए विश्व मानचित्र को अपनाने के लिए मतदान किया

सन्दर्भ

- संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पारंपरिक विश्व मानचित्र को ऐसे मानचित्र से बदलने के लिए मतदान किया है, जो अफ्रीका के आकार को अधिक सटीक रूप से दर्शाता है।

नए मानचित्र की मांग का कारण क्या था?

- मर्केटर मानचित्र, जो 16वीं शताब्दी से व्यापक रूप से उपयोग में है, की इस बात के लिए आलोचना की गई है कि

Approach) पर आधारित है, जबकि PMGSY-IV के तहत सभी मौसमों में सड़क संपर्क प्रदान किया जाता है।

- राज्य सरकारों, जिला प्रशासन और सीमा सुरक्षा बलों के साथ समन्वय के लिए नोडल मंत्रालय गृह मंत्रालय (MHA) है।

चरण

- सरकार वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को दो चरणों में लागू कर रही है, जो मिलकर भारत की पूरी अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा को कवर करते हैं।
- VVP-I उत्तरी सीमा के साथ स्थित गाँवों को कवर करता है।
- VVP-I एक केंद्र प्रायोजित योजना (Centrally Sponsored Scheme) है, जिसे राज्यों के साथ मिलकर लागू किया जाता है।
- VVP-II इसी दृष्टिकोण को अन्य अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमाओं तक विस्तारित करता है।
- VVP-II एक केंद्रीय क्षेत्र योजना (Central Sector Scheme) है, जिसका पूरा वित्तपोषण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है।

VIBRANT VILLAGES PROGRAMME (PHASE I&II) AT A GLANCE		
	Combined Outlay: Rs. 11,639 Crore	Total Sanctioned Projects (VVP-I): 2,903
Parameter	VVP-I	VVP-II
Ground launch	Kibithoo, Arunachal Pradesh, 10 April 2023	Nathanpur, Cachar, Assam, 20 February 2025
Type of scheme	Centrally Sponsored Scheme	Central Sector Scheme (100 per cent Central funding)
Outlay	Rs. 4,800 crore	Rs. 6,839 crore
Period	Currently 2026-27	FY 2024-25 to 2028-29
Border covered	Northern border	All land borders other than Northern border already covered under VVP-I
Coverage	662 Villages (Initial Phase), in 4 states and 1 UT	1,954 villages in 334 blocks, in 15 States and 2 UTs (Identified)

Source: Ministry of Home Affairs

स्रोत: PIB

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग

चर्चा में क्यों?

- सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (NCSK) के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की है।

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (NCSK)

- इसे राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम, 1993 के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में अगस्त 1994 में प्रारंभ में तीन वर्ष की अवधि के लिए गठित किया गया था।
- वर्तमान में यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत एक गैर-वैधानिक निकाय के रूप में जारी है।

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्य और अधिदेश

- यह सफाई कर्मचारियों की देखभाल, गरिमा, सुरक्षा और सामाजिक-आर्थिक बेहदरी के लिए स्थापित किया गया है।
- यह असमानताओं को दूर करने के लिए सरकारी कार्यक्रमों को बढ़ावा देता है, पुनर्वास योजनाओं की जाँच करता है, शिकायतों की जाँच करता है, कल्याणकारी नीतियों के कार्यान्वयन न होने पर स्वतः संज्ञान (suo motu) लेता है तथा कार्य परिस्थितियों, स्वास्थ्य, सुरक्षा और वेतन की निगरानी करता है।
- यह सफाई कर्मचारियों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं पर केंद्र और राज्य सरकारों को रिपोर्ट और सिफारिशें भी प्रस्तुत करता है।
- यह हाथ से मैला उठाने के रोजगार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 के कार्यान्वयन की निगरानी करता है।
- यह शिकायतों और उल्लंघनों की जाँच करता है, प्रभावी कार्यान्वयन के संबंध में सरकारों को सलाह देता है और अनुपालन न होने पर स्वतः संज्ञान लेता है।

स्रोत: PIB

आपातकालीन ऋण लाइन गारंटी योजना (ECLGS) 5.0

सन्दर्भ

- आपातकालीन ऋण लाइन गारंटी योजना (ECLGS) 5.0 बाहरी व्यवधानों से प्रभावित व्यवसायों को लक्षित ऋण गारंटी सहायता प्रदान करती है।

परिचय

- ECLGS को 2020 में आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत COVID-19 महामारी के कारण उत्पन्न वित्तीय तनाव से उबरने में व्यवसायों की सहायता के लिए शुरू किया गया था।
- ECLGS 1.0 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSMEs), व्यावसायिक उद्यम, मुद्रा ऋण लेने वाले और व्यक्तिगत व्यवसाय ऋण शामिल थे।
- फरवरी 2020 तक जिन उधारकर्ताओं का बकाया ऋण ₹50 करोड़ से अधिक नहीं था और जिनके ऋण की अवधि 60 दिनों तक अतिदेय थी, वे पात्र थे।
- ECLGS 2.0 ने कवरेज का विस्तार कामथ समिति द्वारा पहचाने गए 26 तनावग्रस्त क्षेत्रों और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र तक किया। इसमें फरवरी 2020 तक ₹50 करोड़ से अधिक और ₹500 करोड़ तक का बकाया ऋण रखने वाले तथा 60 दिनों तक अतिदेय उधारकर्ताओं को शामिल किया गया।

- **ECLGS 3.0** ने आतिथ्य, यात्रा एवं पर्यटन, मनोरंजन एवं खेल तथा नागरिक उड्डयन क्षेत्रों को सहायता प्रदान की।
- **ECLGS 4.0** ने महामारी के दौरान स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया। इसमें अस्पताल/नर्सिंग होम/क्लीनिक/मेडिकल कॉलेज तथा तरल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सिलेंडर आदि के निर्माताओं को शामिल किया गया।
- **ECLGS 5.0** 31 मार्च 2027 तक या ₹2.55 लाख करोड़ की गारंटी जारी होने तक, जो भी पहले हो, परिचालन में रहेगी। इसमें MSMEs, पात्र गैर-MSME व्यावसायिक उधारकर्ता और अनुसूचित यात्री एयरलाइन कंपनियाँ शामिल हैं।
- **ऋण गारंटी कवरेज**: पात्र MSMEs को दिए गए ऋणों के लिए 100% गारंटी और पात्र गैर-MSMEs के लिए 90% गारंटी कवरेज।
- योजना के तहत MLIs द्वारा कोई गारंटी शुल्क देय नहीं है।

स्रोत: PIB

वर्ष 2029 तक भारत को नशा-मुक्त बनाने का रोडमैप

सन्दर्भ

- केंद्रीय गृह मंत्री ने वर्ष 2029 तक भारत को नशा-मुक्त बनाने के लिए तीन वर्षीय रोडमैप प्रस्तुत किया।

रोडमैप का परिचय

यह रोडमैप चार स्तंभों पर आधारित है-

- पहला - खुफिया जानकारी और अभियान-आधारित प्रवर्तन;
- दूसरा — प्रीकर्सर और सिंथेटिक ड्रग्स पर नियंत्रण;
- तीसरा — मांग और नुकसान में कमी (Demand and Harm Reduction); और
- चौथा — क्षमता निर्माण और समन्वय।
- बीएसएफ, सीआईएसएफ, भारतीय तटरक्षक बल, सीमा शुल्क विभाग और DRI बेहतर निगरानी के लिए भूमि सीमाओं, बंदरगाहों, हवाई अड्डों और कार्गो पर जोखिम-आधारित प्रोफाइलिंग करेंगे और स्कैनर स्थापित करेंगे।

- सीबीआई, विदेश मंत्रालय और इंटरपोल भगोड़ों को वापस लाने का कार्य करेंगे।
- प्रवर्तन निदेशालय, वित्तीय खुफिया इकाई और बैंकिंग प्रणाली धन के प्रवाह का पता लगाएंगे।

सरकार द्वारा की गई पहल

- **स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (NDPS Act)**: यह अवैध मादक पदार्थों के उत्पादन, कब्जे, बिक्री और सेवन पर प्रतिबंध लगाता है तथा उल्लंघनों के लिए दंड का प्रावधान करता है।
- **नशा मुक्त भारत अभियान**: वर्ष 2020 में शुरू किया गया यह अभियान नशीली दवाओं के दुरुपयोग के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करने और नशा-मुक्त भारत को बढ़ावा देने का उद्देश्य रखता है।
- भारत ने **2047 तक** नशा-मुक्त भारत प्राप्त करने का राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित किया है।
- भारत ने मादक दवाओं और मनःप्रभावी पदार्थों (NDPS) तथा रासायनिक प्रीकर्सरों की अवैध तस्करी और संबंधित अपराधों से निपटने के लिए 27 देशों के साथ द्विपक्षीय समझौते, 16 देशों के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) और 02 देशों के साथ सुरक्षा सहयोग समझौते किए हैं।
- **एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF)**: कई राज्यों ने राज्य स्तर पर मादक पदार्थ कानून प्रवर्तन को मजबूत करने के लिए ANTF की स्थापना की है।
- **नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB)** के तहत डार्कनेट मॉनिटरिंग सेल ऑनलाइन मादक पदार्थों की बिक्री पर नज़र रखता है।
- महत्वपूर्ण और बड़ी मात्रा में की गई जब्तियों की जांच की निगरानी के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के महानिदेशक की अध्यक्षता में एक संयुक्त समन्वय समिति (JCC) स्थापित की गई है।
- वर्ष 2019 में, मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए राष्ट्रीय समन्वय समिति (NCORD) की चार-स्तरीय व्यवस्था कार्यकारी, राज्य और जिला स्तरों पर समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई थी।

स्रोत: AIR

